न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 17/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. जरिये संयुक्त अध्यक्ष श्री जी.वी. रामाकृष्णा पुत्र श्री जी. वी. रामामूर्ति जाति ब्राहम्ण अम्बुजा सीमेंट टाउनशिप राबड़ियावास, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. रघुवीरसिंह पुत्र छोटुसिंह 2. बलन्तसिंह पुत्र छोटुसिंह के कायम मुकाम 2/1 विष्णुकवंर पत्नि बलवन्तसिंह 2/2 नवदीवसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 2/3 यशवर्द्धनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 3. श्रवणसिंह पुत्र छोटुसिंह कौम राजपूत, निवासी–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली 4. तहसीलदार, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.23/01/2014

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 27/06/2019

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि वादी मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड यूनिट राबड़ियावास कम्पनी एक्ट के तहत् पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी है व इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कम्पनी के बिजनेस हैड श्री जगदीश तोषनीवाल को कम्पनी की जमीन व सम्पति बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने, वाद पर हस्ताक्षर करने, बयान देने या किसी भी कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारी को वाद की कार्यवाही हेतु नियुक्त व मुकर्र करने का अधिकार दिया हुआ है। श्री जगदीश तोषनीवाल बिजनेस हैड ने श्री मनोज कर्नावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) को सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही व वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने व करवाने का अधिकार दिया गया है। उक्त कम्पनी के बिजनेस हैड द्वारा दिये गये अधिकार के पत्र की फोटोप्रति वाद के साथ पेश है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे, जिसके तहत् श्री मनोज कर्नावत द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री मनोज कर्नावत के स्थान पर अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. जरिये संयुक्त अध्यक्ष श्री जी.वी. रामाकृष्णा पुत्र श्री जी. वी. रामामूर्ति जाति ब्राहम्ण अम्बुजा सीमेंट टाउनशिप राबड़ियावास, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) को अधिकृत किया गया हैं। सरहद मौजा राबड़ियावास में अम्बुजा लिमिटेड कम्पनी का एक वृहद सीमेन्ट प्लान्ट कार्यरत व उत्पानदरत है व उक्त सीमेन्ट प्लांट में सीमेंट उत्पादन हेतु कच्चा माल लाने व उत्पादित सीमेन्ट बाहर डिस्पेच करने के यातायात व ट्रांसपोर्ट बाबत् भारतीय उतर–पश्चिम रेलवे द्वारा बांगड़ ग्राम ब्यावर से रास तहसील जैतारण तक रेलवे की और से रेलवे लाईन बिछाई जा रही है। रेलवे द्वारा रास में रेलवे स्टेशन स्थापित कर रेलवे लाईन डाली जाकर यातायात व ट्रांसपोर्ट शुरू किया जायेगा। रेलवे एवं कम्पनी के मध्य हुए समझौते के अनुसार रास से वादी के अम्बुजा सीमेन्ट प्लान्ट तक वादी के खर्चे से रेलवे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित है। इस बाबत् सर्वे भी किया जा चुका है व रिको राजस्थान सरकार जयपुर के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त रेलवे लाईन के सर्वे में आई निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है व लम्बित् है। रेलवे द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड यूनिट राबड़ियावास तक किये गये रेलवे के सर्वे अनुसार जिन निजी खातेदारों की भूमि जिसमें से होकर रेलवे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित है से वादी कम्पनी द्वारा खातेदारों से उक्त रेलवे लाईन में काम आने वाली कृषि भूमि के खातेदार काश्तकारों को बाजार दर से राशि अदा कर खातेदारी अधिकार व खातेदारी भूमि खरीद कर कम्पनी के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रस्तावित रेलवे लाईन के लिये खरीद की गई भूमि मौके पर कम्पनी को बैचान करने वाले खातेदारों की मौके पर कम्पनी को बैचान वाले खातेदारों की मौके पर उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकारों के मध्य बंटी हुई थी। मौके पर वादी कम्पनी को बेची गई भूमि का बैचानकर्त्ताओं का मौके पर अलग से कब्जा काश्त था। वह भूमि मौके पर वादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कम्पनी को सुपुर्द कर कब्जा सम्भला दिया गया जिस पद वादी कम्पनी काबिज है, मगर वादी कम्पनी के कब्जे व हिस्से की अन्य सह खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि जमाबंदी(खतौनी) में सामलाती खाता दर्ज है व लगान भी सामलाती है, नक्शे ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक दर्शायी गई है। वादी कम्पनी के हिस्से की भूमि मौके पर जरिये तरमीम अलग नहीं हुई दर्शायी गई है। ऐसी सूरत में वादी कम्पनी की खरीदसुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 827/6 रकबा 69-05 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 21.66 रूपयें में की 120/277 हिस्से की भूमि यानि 30 बीघा भूमि खसरा नम्बर 827/6 के नक्शे में मौके अनुसार लाल रंग से डाट लाईन रेखांकित कर दर्शायी गई है तथा प्रस्तावित रेलवे लाईन -/-/-/-/-/-/-/ आसमानी रंग से दर्शायी गई है। जिसका नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वादी की खरीदसुदा भूमि की जमाबंदी संवत् 2065-2068 बाबत् खसरा नम्बर 827/6 रकबा 69-05 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा राबड़ियावास तहसील जैतारण की प्रमाणित प्रतिलिपी दावे के साथ पेश है, जिसे दावे का एक भाग माना जावें। उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार लालरंग डाट लाईन से दर्शाये गये वादी के 120/277 हिस्सें की भूमि यानि 30 बीघा का तकास्मा वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के करवाने के अधिकारी है। वादी के उक्त भूमि का मौके पर पत्थरगढी कर नेखमबंदी कर मौके पर बांटी जावें तथा वादी की उक्त भूमि नक्शा ट्रेस में तरमीम कर अलग से दर्शायी जावें एवं भूमि का वादी कम्पनी के नाम का अलग से खाता दर्ज किया जावें वादी के 120/277 हिस्सें की भूमि यानि 33-01 बीघा का लगान भी अलग से कायम किया जावें। जरिये तकास्मा वादी कम्पनी ऐसा करवाने की अधिकारी है इसलिये दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सहखातेदार है के विरूद्ध वाद पेश है। वाद तकास्मा आराजी वादी कम्पनी अपनी खरीदसुदा खातेदारी हिस्सें की भूमि जो नजरी नक्शें में लाल रंग डाट लाईन से दर्शाई गई है, मैं बतौर खातेदार मालिक भोक्ता के उक्त भूमि व भू-भाग में रेलवे लाईन डालकर एवं बतौर मालिक के सभी प्रकार से उपयोग उपभोग कर इसमें भविष्य में किसी प्रकार की दखलदांजी करने से प्रतिवादी को रूकवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी कम्पनी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें हरगीज नहीं करने देगा, जिस पर मौके पर टन्टा फसाद होगा, ऐसा होने पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार-बार दिवानी, फौजदारी मुकदमें दायर करने पड़ेगें जिससे विविध मुकदमेंबाजी होगी तथा वादी कम्पनी को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः दावा स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। कृषि भूमि के भूमिधारी तहसीलदार जैतारण है जो तकास्मा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुज्ञा नहीं चाही है। बिनाय वाद दिनांक 09/01/2014 को वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादीगण को बमुकाम राबड़ियावास मौके पर हो रखे बंटवाड़ा अनुसार बंटवाड़ा कर जमीन का तकास्मा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर तकास्मा होने तक बमुकाम राबड़ियावास में पैदा हुआ, नियंत्रण जारी है जो अंदर म्याद हक अख्त्यार सयामत अदालत वाला के है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया सा0मि0 किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजीनामा प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-राबड़ियावास पटवार हल्का-राबड़ियावास, भू अभिलेख निरीक्षक-बलाड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज. में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभक्त खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827/6 रकबा 69-05 बीघा भूमि में वादी एवं के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/768 दिनांक 06/08/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/1334 दिनांक 28/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीया एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–राबड़ियावास पटवार हल्का–राबड़ियावास, भू अभिलेख निरीक्षक–बलाड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभक्त खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827/6 रकबा 69–05 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	रघुवीरसिंह श्रवणसिंह पिता छोटूसिंह नवदीपसिंह यशवर्धनसिंह पिता बलवन्तसिंह विष्णुकंवर पत्नी बलवंतसिंह ना.बा.की वली माता विष्णुकंवर कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर।	827/6	33-10	बारानी दोयम	10.33
2	मैसर्स अम्बूजा सीमेन्ट लिमिटेड राबड़ियावास जरिए संयुक्त अध्यक्ष जी.वी.रामाकृष्णा पुत्र जी.वी.रामामूर्ति जाति ब्राह्मण निवासी अम्बूजा टाऊनशीप राबड़ियावास खातेदार।	827/17 827/21	22-10 3-02	बा.दो. बा.दो.	
	योग	**2**	**25-12**		**7.99**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/06/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner